06.11.24 अधिवक्ता गण उप्र पत्रावली वापस लेकर जवाब दावा पत्र हेतु दिनांक 23/12/24 को पेश हो।

23.12.24 अधिवक्ता गण उप्र वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र वादी का प्रकरण को खारिज करने का निवेदन किया। वादी द्वारा स्वयं उप. आदेश आ. शिकायत पत्र हस्ताक्षर अंकित किये गये। वादी श्री पहचान वादी अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश कटारा द्वारा की गई। चूंकि वादी प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है अतः प्रकरण वर्तमान दशा पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निस्तारित हो। पत्रावली समस्त पेजिनेशन के साथ की जाकर निर्णयिकी रजिस्टर में शामिल हो।

केहर सिंह
24/12

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:03:15 IST
Reason: SelfAttested